

प्रेस नोट दिनांक 04.04.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामी अपराधियों एवं गैंग की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी एसओजी एवं उ0नि0 श्री अमित कुमार एसटीएफ की संयुक्त टीमों द्वारा गौरी गैंग के सदस्य एवं 25000/- रूपये का इनामिया डकैत सुबेश यादव पुत्र रामप्रकाश निवासी बाबू का पुरवा (छोटी बिलहरी) रूकमाखुर्द ददरीमाफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को अवैध तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-31.03.2021 को थाना बहिलपुरवा क्षेत्र अन्तर्गत माड़ों बांध के जंगल में गौरी गैंग के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में फरार डकैतों की तलाश में स्वाट टीम प्रभारी एवं एसटीएफ टीम लगातार जंगल में कॉम्बिंग कर रही थी कि कॉम्बिंग के दौरान मारकण्डेय आश्रम के बाए तरफ एक व्यक्ति दिखायी दिया पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे सिखलाए हुए तरीके से एक वारगी दबिश देकर पुलिस टीमों द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुबेश यादव पुत्र रामप्रकाश निवासी बाबू का पुरवा छोटी बिलहरी मजरा रूकमाखुर्द ददरीमाफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट बताया जामातलाशी से अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस चेम्बर में फंसा हुआ बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 31/03/2021 को गौरी यादव गैंग के साथ शाम के समय माढ़ो बन्धा के जंगल में था कि 02 आदमी मोटर साइकिल से आये और मोटर साइकिल जंगल में खड़ी कर दी थी। उनमें से एक आदमी को गौरी यादव ने गैंग की एक राइफल दे दी थी, उसके बाद हम लोग जंगल में अन्दर चलने को जैसे ही तैयार हुए कि अचानक पुलिस आ गई और पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए कहा जिस पर गौरी यादव व गैंग के अन्य साथियो ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए जंगल की तरफ बढने लगे मोटर साइकिल से आये व्यक्ति भी हमारे साथ जंगल की तरफ बढने लगे। पुलिस द्वारा भी फायरिंग की जाने लगी तो मै घबराकर अपना असलहा 12 बोर बन्दूक को जंगल मे फेककर भाग लिया मेरे पास फैट मे घुसा यही तमंचा व कारतूस रह गया तब से मै जंगल मे बच बचाकर रह रहा था आज जंगल से निकल कर बाहर भागने की फिराक मे निकला कि आप लोगो ने पकड किया इससे पहले मै गौरी यादव के साथ कई जगह जाकर वसूली के लिये लोगो के साथ मारपीट किया हूँ। अभियुक्त से शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 16/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

बरामदगी:-

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 04 अदद जिन्दा कारतूस

अभियुक्त सुबेश यादव का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 03/2021 धारा 332/387/323/353/504 भादवि0 एवं 12/14 DAA एक्ट थाना बहिलपुरवा
2. मु0अ0सं0 25/2021 धारा 147/148/149/504/307 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट थाना बहिलपुरवा
3. मु0अ0सं0 16/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना मारकुण्डी

गिरफ्तारी करने वाली टीमें-

टीम प्रथम (जनपदीय स्वाट टीम)

1. प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक श्री श्रवण कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू
3. मुख्य आरक्षी रईस खान
4. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा
5. आरक्षी राहुल यादव

टीम द्वितीय (एसटीएफ टीम)

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी एसटीएफ
2. उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह
3. मुख्य आरक्षी उमाशंकर
4. आरक्षी भूपेन्द्र सिंह
5. आरक्षी शिवानन्द शुक्ला

(2). दिनांक-03.04.2021 की रात्रि में श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी एवं राजापुर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत समीक्षा गोष्ठी की गयी। समीक्षा गोष्ठी में महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- (i). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी एवं राजापुर को एरिया डोमिनेशन हेतु शेष ग्रामों की समीक्षा कर एरिया डोमिनेशन करने हेतु निर्देश दिये गये।
- (ii). थाना क्षेत्र के समस्त पोलिंग बूथ सेंट्रों की समीक्षा की गयी।
- (ii). थाना क्षेत्र के संवेदनशील/अति संवेदनशील एवं संवेदनशील प्लस ग्रामों की समीक्षा करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
- (iii). 10 साल के अपराधों से सम्बन्धित अपराधियों की समीक्षा कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (iv). प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी एवं राजापुर को अवैध शराब, अवैध शस्त्र, अवैध गांजा बेचने वालों पर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (v). थाना पर चुनाव के दृष्टिगत की गयी निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा की गयी। ज्यादा से ज्यादा निरोधात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।
- (vi). डियूटी में लगाये जाने वाले क्लस्टर मोबाइल के रूटों की समीक्षा की गयी।

समीक्षा गोष्ठी के दौरान थाना पहाड़ी में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी, समस्त उपनिरीक्षकगण एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीग तथा थाना राजापुर में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर, उपनिरीक्षकगण एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). दिनांक-03.04.2021 की रात्रि को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम सरधुआ एवं भदेदू में ग्रामवासियों के साथ जनचौपाल की गयी। जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ग्रामवासियों से समस्यायें पूछी तथा उनसे जनसंवाद किया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आने वाले पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए, किसी दबाव में न आए भयमुक्त होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें। जो भी अवैध कार्य में संलिप्त हुआ हो एवं चाहे जितना भी पुराना अपराधी हो, उन सभी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसके आपका भविष्य खतरों में पड़े। चाहे वर्चस्व की लड़ाई है, आपस में दो जातियों के मध्य लड़ाई हो या छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो, यदि इस प्रकार की समस्यायें सामने आ रही हैं तो ये सभ्यता का प्रतीक नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने वाले ग्राम वासियों की छवि समाज में किस प्रकार की होगी ये सोचने की बात। विशेष रूप से आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी वैध/अवैध तरीकों का इस्तेमाल करते हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में झुकाने के लिए कोई शराब वितरण का, कोई पैसे का लालच देकर या कोई दबाव बनाकर हर तरीके से अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश करता है। इसलिए आप सभी से पूरी उम्मीद है कि यहां पर न तो कोई किसी को डरा धमका पायेगा और न ही गलत तरीके से चुनाव/मत अपने पक्ष में कराने के लिए इस प्रकार के काम से फुसला पाएगा। आप सभी स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष अपने मत का प्रयोग करें। सभी

ग्रामवासियों से अपील है कि कोई भी महिला व पुरुष अवैध शराब के सेवन न करें ना ही अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त न हो व किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त न हो। यदि कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो तत्काल उसकी जानकारी पुलिस को दें जिससे अवैध शराब निर्माण को रोका जा सके व किसी भी प्रकार का अवैध कार्य सम्बन्धित ग्राम में न हो सके। उपस्थित जनमानस ने संकल्प लिया कि वे सब निर्विघ्न रूप से चुनाव सम्पन्न करायेगे। एवं शराब का सेवन नहीं करेगे।

आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री जयशंकर सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब, 24 क्वार्टर अपमिश्रित शराब, 01 किलो यूरिया, 150 ग्राम फिटकरी, 100 एम स्पिट व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये।

(क). श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनके हमराहियों द्वारा अभियुक्ता सुनीता उर्फ सरिता पत्नी ओमप्रकाश निवासी राघवपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को कब्जे से 15 लीटर अपमिश्रित शराब व 1 किलो यूरिया, 150 ग्राम फिटकरी के साथ तथा अभियुक्ता कुमारी काजल पुत्री स्व० रोशन निवासी राघवपुरी को 24 क्वार्टर अपमिश्रित शराब व 100 एमएल स्पिट के गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि० पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब

24 क्वार्टर अपमिश्रित शराब

01 किलो यूरिया, 150 ग्राम फिटकरी, 100 एम स्पिट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर

2. महिला आरक्षी मोनिका

3. आरक्षी प्रकाश मिश्रा

4. आरक्षी शिवलाल

(ख) उ०नि० श्री धनंजय राय थाना भरतकूप व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र किशोरी वर्मा निवासी भगवतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने के उपकरण नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में मु०अ०सं० 43/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

15 लीटर कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने के उपकरण

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री धनंजय राय थाना भरतकूप

2. हे०का० जानकी प्रसाद

3. आरक्षी उपेन्द्र

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री अर्पित पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा बाल अपचारी विनोद कुमार उर्फ करन पुत्र विजय बहादुर निवासी

कुटी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किय गया। अपचारी के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 77/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

एक अदद तमंचा 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम
3. आरक्षी अखिलेश कुमार
4. महिला आरक्षी मोनिका तिवारी

(6). दिनांक-04.04.2021 को आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर/राजापुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री जयशंकर सिंह की उपस्थिति में थाना राजापुर पुलिस टीम ने पीएसी बल के साथ अतिसंवेदनशील ग्राम पियरियामाफी में भ्रमण कर आचार संहिता का पालन कराते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पीएसी बल के साथ ग्राम संवेदनशील प्लस ग्राम छीबों तथा श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी प्रभारी गनीवा द्वारा पीएसी बल के साथ संवेदनशील ग्राम चनहट, अतिसंवेदनशील गौहानी कलां, हरदौली एवं कंधवनिया में एरिया डोमिनेशन किया गया। एरिया डोमिनेशन के दौरान पुलिस टीम ने जनता से निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गयी तथा किसी भी अवस्था में शराब का सेवन न करने की अपील की।

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 04.04.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा भरतकूप मंदिर प्रांगण मे भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम लुढौताखुर्द, लुढौताकला व गजरिया में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा के शॉपिंग मॉल, आंतरिक ग्रामीण इलाके, दुकानों बाजार आदि में जाकर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा पालेश्वर मंदिर, बस स्टैंड, बिसंडा तिरहा आदि जगहों का भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान कर्वी एवं चुंगी चौराहा पर भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैंड मऊ, बाजार रोड मऊ, सब्जी मण्डी, रामलीला मैदान में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम चिल्लीराकस में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो स्ववायड मानिकपुर कस्बा मानिकपुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम टिकरिया में भ्रमण कर पुष्कर्नी गेट रेलवे क्रॉसिंग पर मौजूद महिलाओं और बालिकाओं से भ्रमण करके छात्राओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।